MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 30641 दिनांक 25 मार्च, 2020

:: आदेश ::

कोविड़–19, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो तथा **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ.9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 से प्रदत्त शक्तियो के तहत निम्नांकित राजकीय एवं निजी संस्थाओ के हॉस्टल एवं भवनो को परिसर सहित निम्नलिखित शर्तो के अधीन तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया जाता हैं तथा उपलब्ध समस्त संसाधन/सुविधाओ सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को सुपुर्द किया जाता हैं –

क0सं0	राजकीय/निजी संस्थान का नाम	भवन का विवरण
1.	माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविघालय, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, भीलवाड़ा
2.	महाराणा कुम्भा हॉस्टल भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, आजादनगर, भीलवाड़ा
3.	मयूर हॉस्टल, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, पटेलनगर, भीलवाड़ा
4.	नोबल इन्टरनेशनल हॉस्टल, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, कुवाडा रोड़, भीलवाड़ा
5.	जी स्कूल, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, चित्तौडगढ़ रोड़, भीलवाड़ा
6.	संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, भीलवाड़ा
7.	महिला आश्रम स्कूल, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, बालिका स्कूल, महिला आश्रम रोड़, भीलवाड़ा
8.	मीणा हॉस्टल, हरणी महादेव रोड़, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, हरणी महादेव रोड़, भीलवाड़ा
9.	धाकड हॉस्टल, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, प्राइवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा
10.	श्री महेश छात्रावास, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा
11.	अग्रवाल मांगलिक भवन, भीलवाड़ा	हॉस्टल एवं परिसर, रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा

शर्ते –

1. अधिग्रहित भवन/परिसर के प्रबन्धक/संचालक द्वारा स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा की टीम के साथ उपस्थित होकर अधिग्रहित भवन एवं परिसर की सुपुर्दगी के समय समय एवं अधिग्रहित अवधि के दौरान नियमित रूप से बिजली, पानी आदि आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायीं जावेगी।
2. आयुक्त नगर परिषद भीलवाड़ा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुवाणा द्वारा चिकित्सा अधिकारियो के निर्देशन में अधिग्रहित भवन एवं परिसर की दैनिक साफ–सफाई करवाये जाने की सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही स्वयं द्वारा दैनिक रूप से अधिग्रहित भवनो की साफ–सफाई का सतयापन किया जावेगा।
3. अधिग्रहित भवन एवं परिसर को पुनः सुपुर्दगी के समय चिकित्सा विभाग द्वारा वि–संक्रमित करने के उपरान्त ही संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

संबंधित संस्थान/उद्योग के प्रबंधक/संचालक को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता, देरी नहीं की जावे। अधिग्रहित भवन/परिसर का कब्जा आज ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया जावे। उक्त आदेश की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व महा–प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा का होगा।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
5. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
6. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा **(All Over Incharge)**
8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को समन्वय एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा (भीलवाड़ा के अतिरिक्त)
10. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
12. श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा (मोबाईल – 75030 63728)
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर अवगत करावे।
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा को पालनार्थ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा तथा सभी संबंधित से सम्पर्क एवं समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावे। साथ ही निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश क्रमांकः 30620 दिनांक 24/03/2020 से प्रदत्त निर्देश के क्रम में अधिग्रहित किए गए हॉस्टल/भवनो में रूम, हॉल एवं शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए समन्वयक (कार्मिको) की सूचना आज ही जिला कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जावे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जावे।
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
15. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
16. प्रबन्धक एवं संचालक, समस्त हॉस्टल/भवन, जिला भीलवाड़ा द्वारा मुख्यजिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner